



2026:AHC:163280

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27308 वर्ष 2026

जोरावर सिंह

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पुष्पराज यादव, सौरभ चतुर्वेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

1. राज्य की ओर से पेश एजीए ने कहा कि उन्हें निर्देश मिल गए हैं और अगर ज़मानत प्रार्थना-पत्र पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई होती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य की ओर से पेश एजीए के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक संग्रहण अमीन के पद पर काम कर रहा था और आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के दस्तावेजों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शिकायतकर्ता से ₹5,000 की मांग की थी। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि बाद में एक ट्रैप टीम बनाई गई और आवेदक को ₹5,000 के साथ पकड़ा गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अधिकतम सज़ा सात साल है। शपथपत्र के प्रस्तर 29 और 30 में आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है। आवेदक 18.6.2026 से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जेल में है और अगर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. राज्य की ओर से पेश एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन मामले के तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया।

5. राज्य की ओर से पेश एजीए ने आवेदक के आपराधिक इतिहास की ओर इशारा किया। पिछले आपराधिक मामलों में साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को डराने-धमकाने के बारे में कोई भी बात या परिस्थिति इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाई गई है। **ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह, (2012) 9 एससीसी 446** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 30 में कहा है:-

"हम यह भी कहना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि आरोपी घोषित अपराधी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि घोषित अपराधी को कभी ज़मानत नहीं मिल सकती। लेकिन, जिस अपराध के लिए उस पर मामला दर्ज किया गया है, उसकी प्रकृति को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

6. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ़ इसी आधार पर ज़मानत देने से इनकार कर दिया जाए।

7. जहाँ तक आवेदक के आपराधिक इतिहास का सवाल है, राज्य का यह कहना नहीं है कि आवेदक जाँच से छेड़छाड़ कर सकता है या उसे गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है, या वह विचारण से पहले या उसके दौरान गवाहों को डरा-धमका सकता है। राज्य ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है जिससे पता चले कि आवेदक ने अतीत में विधि की प्रक्रिया से बचने की कोशिश की हो। अगर आरोपी जमानत का हकदार है, तो सिर्फ़ उसके आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता; आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से इनकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई गई है। इसलिए, न्यायालय को यह उचित नहीं लगता कि सिर्फ़ आपराधिक इतिहास होने के आधार पर आवेदक को जमानत देने से इनकार किया जाए।



8. यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से माना गया है, खासकर संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) एससीसी 51 मामले में फिर से दोहराया है। विद्वान एजीए ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई है जिसके कारण आवेदक को जमानत देने से इनकार किया जा सके।

9. राज्य की ओर से विद्वान एजीए ने ऐसा कोई साक्ष्य, तथ्य या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे पता चले कि आरोपी साक्ष्यों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या आरोपी का चरित्र ऐसा है कि उसके बाहर रहने से ही गवाह डर जाएंगे, या आरोपी अपनी आज्ञादी का इस्तेमाल न्याय में बाधा डालने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

10. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान एजीए ने ऐसी कोई ठोस जानकारी या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे पता चले कि आवेदक न्याय से भाग सकता है, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, या अपराध दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने जैसी अन्य परेशानियाँ पैदा कर सकता है।

11. राज्य की ओर से विद्वान एजीए ने ऐसा कोई साक्ष्य या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे पता चले कि जनता या राज्य के व्यापक हित में आरोपी/आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

12. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

13. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दर्ज आपराधिक वाद संख्या 16/2026 (पुलिस थाना: भ्रष्टाचार निरोधक बरेली, जिला/इकाई: एसीओ उ.प्र. बरेली) में शामिल आवेदक जोरावर सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का स्वीय बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

i. आवेदक वाद के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।



- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - iii. आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो; और/या जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा।
 - iv. आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जैसा अपराध करने का उस पर आरोप है या जिस अपराध को करने का उस पर संदेह है।
 - v. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
 - vii. अगर आवेदक अपना रहने का पता बदलता है, तो वह संबंधित न्यायालय को अपने नए पते के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।
14. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय में ज़मानत निरस्त करने की प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान)

5 अगस्त, 2026

वीएमए